न्यायालय तहसीलदार बयाना जिला भरतपुर

पीठासीन अधिकारी – श्री गिर्राज प्रसाद बंसल आर.टी.एस तहसीलदार बयाना

किस्म मुकदमा – राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91

मिसल संख्या	तारीख रजू	निर्णय दिनांक
62/18	16/11/18	04/02/2020

निर्णय

राजस्थान सरकार

बनाम

भगवानस्वरूप उर्फ जबाली पुत्र सम्पत सिंह जाति धाकंड निवासी लहचौरा कलां हाल निवासी कस्बा बयाना तह0 बयाना

पत्रावली पेश हुई। पटवारी हल्का कस्बा बयाना ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की है कि कस्बा बयाना के खसरा न0 2345/1 रकवा 0.04 हैक्ट में से रकवा 36 वर्गमीटर किस्म भूमि गैरमुमकिन पर सम्वत 2075 में श्री भगवानस्वरूप उर्फ जबाली पुत्र सम्पत सिंह जाति धाकंड निवासी लहचौरा कलां हाल निवासी कस्बा बयाना तह0 बयाना ने पक्का निर्माण कर अतिक्रमण कर लिया है।

हल्का पटवारी रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस दिनांक 26.11.18 को तलब किया गया। जो शामिल मिसिल है। अप्रार्थी बाबजेद सूचना न्यायालय में अनुपस्थित। अतिक्रमी द्वारा पर्याप्त समय देने के बाबजूद भी स्वयं अथवा उसके प्लीडर द्वारा उक्त अतिक्रमण के संबंध में किसी भी प्रकार का जवाब साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये। प्रकरण में भू अभिलेख निरीक्षक वृत कस्बा बयाना के नेतृत्व में दिनांक 14.10.2019 को अतिक्रमण के संबंध में सीमाज्ञान करने हेतु एक टीम गठित की गई जिसमें की अतिक्रमण के संबंध में दिनांक 14.11.2019 को स्पष्ट रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु न्यायालय द्वारा आदेश पारित किये गये।

प्रकरण में गठित टीम द्वारा दिनांक 14.11.2019 को सीमाज्ञान कर मौकापर्चा इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। मौकापर्चा एवं गठित टीम की रिपोर्ट अनुसार खसरा नम्बर 2345/1 रकबा 0.04 हैक्ट. किस्म गैर मुमकिन का सीमाज्ञान करने पर खसरा नम्बर 2345/1 रकवा 0.04 हैक्ट. अतिक्रमित रकवा 36 वर्गमीटर में अतिक्रमी श्री भगवानस्वरूप उर्फ जबाली पुत्र सम्पत सिंह जाति धाकंड निवासी लहचौरा कलां हाल निवासी कस्बा बयाना तह0 बयाना का मौके पर अतिक्रमण नहीं पाया गया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन गठित सीमाज्ञान टीम मौका[illegible]सार अतिक्रमी का अतिक्रमण सिद्ध नहीं होने से प्रकरण को आगे चलाया जाना न्या[illegible] पर ड्राप किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील [illegible] हो। निर्णय आज दिनांक 04.02.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायाल[illegible]

तहसीलदार
बयाना (भरतपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Girraj Prasad Bansal
Date: 2022.02.04 11:48:18 IST
Reason: SelfAttested